

K. T.S.N. 22/98


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ


आदेश

प्रस्तुत वाद वर्ष 1998 से लम्बित है। इस वाद में दिनांक 27.11.2007 को वादी के गवाहों के गवाही हेतु रखा गया था। वादी को बार-बार चेतावनी देने के पश्चात् भी गत 11 वर्षों में एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किए, दिनांक 22.06.2018 को वादी को गवाह प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था, पर वे गवाह नहीं प्रस्तुत किए। उसके उपरान्त दिनांक 06.11.2018 को पुनः एक अवसर गवाही हेतु वादी को दिया गया पर वे गवाह प्रस्तुत करने में असफल रहे। इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में कोई रुची नहीं है। दिनांक 28.01.2019 को प्रतिवादी के अधिवक्ता को सुना, उक्त तिथि को वादी अनुपस्थित थे। ऐसी परिस्थिति में इस वाद को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित।



अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।



अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

